संख्या-24/2019-1017/58-2019-118/2016

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं को डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-15/डी0बी0टी0/ आई0टी0सेल/2019-20, दिनांक 21.05.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष् 2019-20 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों में प्रदेश के पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुमन्य अनुदान का लाभ समय से भुगतान किये जाने के लिए शासनादेश सं0-14/2017-1348/58-2017-118/2016, दिनांक 10.07.2017 के प्रस्तर-2 एवं शासनादेश सं0-39/2018-1419/58-2018-118/2016, दिनांक 26.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत व्यवस्था की जाती है :-

1- संकर शाकभाजी एवं मसाला मिर्च की व्यवस्था :-

1. विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज की गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का चयन पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार किया जायेगा।

2. पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार संकर शाकभाजी एवं मसाला बीजों का क्रय मूल उत्पादक फर्म/कम्पनियों/डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/सीड एक्ट-1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत/लाइसेंसधारी बीज विक्रेताओं से एम0आर0पी0 के अनधिक दरों पर (आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपड़ सामग्री) नकद मूल्य पर क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा संकर बीज क्रय रसीद संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. विभाग की राजकीय प्रक्षेत्रों/पौधशालाओं पर स्थापित हाईटेक वेजीटेबल नर्सरी से सब्जी/मसाला बीज (मिर्च) की विभिन्न फसलों की वेहन (सीडलिंग प्लग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

टाइप) नकद मूल्य पर लाभार्थी कृषकों द्वारा क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा संकर शाकभाजी एवं मसाला वेहन (मिर्च) क्रय रसीद संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त लाभार्थी कृषक से भुगतान का विकल्प प्राप्त कर निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं :-

(1) कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्य पूर्ण करने पर अनुदान सहायता संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।

अथवा

(2) कृषक द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण लेकर कार्य पूर्ण करने पर संबंधित के बैंक ऋण खाते में अनुदान भुगतान किया जा सकेगा।

शासनादेश दिनांक 10.07.2017 एवं दिनांक 26.06.2018 के शेष बिन्दु यथावत् हैं। उपरोक्तानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2019-1017(1)/58-2019,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in